अनुक्रमांक /Roll No. | | | |

कुल प्रश्नों की संख्या : 100
Total No. of Questions: 100

मुद्रित पृष्ठों की संख्या : 39
No. of Printed Pages: 39

Suitability Test-22

प्रथम प्रश्न–पत्र

First Question Paper

Time Allowed- 3:00 Hours (Including 2nd Que. Paper)
समय – 3:00 घण्टे (द्वितीय प्रश्न पत्र के साथ ही)

Maximum Marks- 100
पूर्णांक –100

निर्देश : –
Instructions:-

1. सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। सभी प्रश्न के अंक समान हैं।ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।

   All questions are compulsory. All questions shall carry equal Marks. There is no negative marking.

2. प्रश्न पत्र में प्रश्नों की निर्धारित संख्या 100 हैं । परीक्षार्थी आश्वस्त हो लें कि उसके प्रश्न–पत्र में निर्धारित संख्या में प्रश्न मुद्रित है, अन्यथा वह दूसरा प्रश्न पत्र मांग लें ।

   The question paper contains 100 questions. The examinee should verify that the requisite number of questions are printed in the question paper, otherwise he/she should ask for another question paper.

3. प्रश्न पत्र के आवरण पृष्ठ पर प्रश्न–पत्र में लगे पृष्ठों की संख्या दी गई हैं। परीक्षार्थी आश्वस्त हो लें कि उसके प्रश्न–पत्र में निर्धारित संख्या में पृष्ठ लगे हैं, अन्यथा वह दूसरा प्रश्न–पत्र मांग लें ।

   The cover page indicates the number of pages in the question paper. The examinee should verify that the requisite number of pages are attached in the question paper, otherwise he/she should ask for another question paper.

4. प्रदत्त उत्तर शीट पर दिये निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा अपने उत्तर तदानुसार अंकित करें।

   Read carefully the instructions given on the answer sheet supplied and indicate your answers accordingly.

5. कृपया उत्तरशीट पर निर्धारित स्थानों पर निर्धारित प्रविष्टियां कीजिये, अन्य स्थानों पर नहीं ।

   Kindly make the necessary entries on the answer sheet only at the places specified, nowhere else.

6. यदि किसी प्रश्न में किसी प्रकार की कोई मुद्रण या तथ्यात्मक प्रकार की त्रुटि हो, तो प्रश्न के हिन्दी तथा अंग्रेजी रूपांतरों में से अंग्रेजी रूपांतर मान्य होगा।

   If there is any sort of mistake either of printing or of factual nature in any question, then out of the Hindi and English versions of the question, the English version will prevails.

P.T.O.

Code of Civil Procedure, 1908

प्र.क्र. 1– आदेश 18 नियम 4 के अंतर्गत शपथ पत्र पर दिया गया मुख्य कथन निम्नलिखित प्रकार के प्रकरणों में अभिलेख पर लिया जावेगा –
(अ) मोटरयान दुर्घटना दावा अधिनियम 1988 से संबंधित प्रकरणों में
(ब) कॉमर्शियल कोर्ट्स एक्ट, 2015 से संबंधित प्रकरणों में
(स) विद्वेषपूर्ण अभियोजन से संबंधित प्रकरणों में
(द) उपरोक्त सभी में

Que. An affidavit of examination in chief under Order XVIII rule 4 can be taken in evidence in following cases -
(a) The cases related to Motor Vehicle Act, 1988
(b) The cases related to Commercial Courts Act, 2015
(c) The cases related to malicious prosecution
(d) All of the above

प्र.क्र. 2– आदेश 41 नियम 23ए के तहत मामले को रिमांड करते हुए अपीलीय अदालत निम्नलिखित तरीके से फैसला सुनाएगी –
(अ) व्यय पत्रक सहित आदेश पारित किया जावे।
(ब) निर्णय एवं डिक्री उद्घोषित किया जावे।
(स) बिना डिक्री के निर्णय घोषित की जावे।
(द) उपरोक्त में से कोई नहीं

Que. While remanding a case under order 41 rule 23A, the appellate court would pronounce the judgment in following manner -
(a) Pass a order along with cost memo
(b) Pronounce the judgment along with decree
(c) Pronounce a judgment without a decree
(d) None of the above

प्र.क्र. 3– सुनवाई हेतु नियत दिनांक पर अदम पैरवी में निष्पादन प्रकरण को किस निम्नलिखित प्रावधान के अंतर्गत खारिज किया जा सकेगा–
(अ) आदेश 21 नियम 103 सी.पी.सी.
(ब) आदेश 21 नियम 104 सी.पी.सी.
(स) आदेश 21 नियम 105 सी.पी.सी.
(द) आदेश 21 नियम 106 सी.पी.सी.

Que. Under which of the following provision, the execution case can be dismissed due to non-appearance on due date of hearing -
(a) Order 21 rule 103 of CPC
(b) Order 21 rule 104 of CPC
(c) Order 21 rule 105 of CPC
(d) Order 21 rule 106 of CPC

प्र.क्र. 4–. न्यायालय किसी भी व्यक्ति को उपस्थिति के लिए विवश कर सकता है जिसे धारा 30 के तहत समन जारी किया गया है और व्यतिक्रम की दशा में न्यायालय शास्ति के रूप में जुर्माना अधिरोपित कर सकता है, जो निम्नलिखित राशि से अधिक नहीं होगी –

(अ) एक हजार रूपये
(ब) तीन हजार रूपये
(स) पांच हजार रूपये
(द) दस हजार रूपये

Que. The Court may compel the attendance of any person to whom a summons has been issued under Section 30 and in case of default, the Court may impose a fine as a penalty which may not exceeding the following amount-

(a) Rs. One thousand
(b) Rs. Three thousand
(c) Rs. Five thousand
(d) Rs. Ten thousand

प्र.क्र. 5– आदेश 23 नियम 1 (3) सी.पी.सी. के अंतर्गत नवीन वाद प्रस्तुत करने की अनुमति के साथ प्रथम वाद वापस लेने की दशा में, नवीन वाद की परिसीमा के संबंध में सही स्थिति क्या है?

(अ) परिसीमा की विधि उसी तरह से लागू होगी, मानो प्रथम वाद संस्थित नहीं किया गया हो।
(ब) प्रथम वाद के दौरान व्यतीत की गई अवधि को परिसीमा की अवधि से छूट दी जाएगी।
(स) यह सक्षम न्यायालय के विवेक पर निर्भर करेगा, जिसमें नवीन वाद दायर किया गया है।
(द) यह उस न्यायालय पर निर्भर करेगा जिसने प्रथम वाद को वापस लेने की अनुमति दी थी।

Que. In case of withdraw a suit after taking permission to institute a fresh suit in term of order 23 rule 1 (3) CPC. What is correct position regarding limitation of fresh suit ?

(a) Law of limitation will apply in the same manner as if the first suit had not been instituted.
(b) The period spent in first suit would be exempted from the period of limitation.
(c) It will depend upon the discretion of the competent court, in which the fresh suit has been filed.
(d) It will depend upon the Court from which the permission of withdrawal of the first suit was granted.

प्र.क्र. 6– सी.पी.सी. के आदेश 43 नियम 1 के अंतर्गत, निम्नलिखित में से किस आदेश के खिलाफ अपील दायर नहीं की जा सकती है ?

(अ) आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी. के आवेदन को स्वीकृत किये जाने का आदेश
(ब) आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी. के आवेदन को अस्वीकृत किये जाने का आदेश
(स) आदेश 39 नियम 1 व 2 सी.पी.सी. के आवेदन को स्वीकृत किये जाने का आदेश

(द) आदेश 39 नियम 1 व 2 सी.पी.सी. के आवेदन को अस्वीकृत किये जाने का आदेश

Que. Under Order 43 rule 1 of the CPC, the appeal cannot be filed against which of the following order?

(a) The order of allowing the application under order 9 rule 13 of the CPC.

(b) The order of rejecting the application under order 9 rule 13 of the CPC.

(c) The order of allowing the application under order 39 rule 1 & 2 of the CPC.

(d) The order of rejecting the application under order 39 rule 1 & 2 of the CPC.

प्र.क्र. 7– जहां कोई भी पक्ष सुनवाई की समाप्ति के बाद और निर्णय सुनाए जाने से पूर्व मृत हो जाता है–

(अ) मुकदमा शमित हो जायेगा।

(ब) मुकदमा शमित नहीं होगा।

(स) वाद दोबारा से साक्ष्य की अवस्था से आ जायेगा।

(द) यह माना जाएगा कि निर्णय किसी पक्ष की मृत्यु के बाद सुनाया गया है।

Que. Where any party dies after conclusion of hearing and before pronouncing of Judgement -

(a) The suit shall abate.

(b) The suit shall not abate.

(c) Case will start again from the stage of evidence.

(d) It will be deemed that judgement has been pronounced after death of a party.

प्र.क्र. 8– व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 80 के अंतर्गत नोटिस के लिये विहित समयावधि है :

(अ) 90 दिन

(ब) 60 दिन

(स) तीन माह

(द) दो माह

Que. Under Section 80 of the Civil Procedure Code, the period of notice is-

(a) Ninety days

(b) Sixty days

(c) Three months

(d) Two months

प्र.क्र.9 जहां एकपक्षीय जयपत्र के विरूद्ध प्रस्तुत अपील अपीलार्थी ने वापस ले ली है, वहां एकपक्षीय जयपत्र को अपास्त करने के लिए आदेश 9 नियम 13 सि.प्र.सं. के अंतर्गत आवेदन –

(अ) अस्वीकृत किया जाएगा

(ब) वापस किया जाएगा

(स) पोषणीय होगा
(द) अपीलीय न्यायालय की राय के लिए निर्देशित किया जावेगा

Que. Where the appellant has withdrawn the appeal preferred against a ex-parte decree, the application under Order 9 Rule 13 of CPC, -
(a) Will be rejected
(b) Will be returned
(c) Will be maintainable
(d) Will be referred for opinion of the Appellate Court

प्र.क्र. 10– आदेश 7 नियम 11 के तहत वाद नामंजूर किए जाने पर –
(अ) उसी वाद हेतुक पर नया वाद नहीं लाया जा सकता।
(ब) उसी वाद हेतुक पर नया वाद लाया जा सकता है।
(स) रिवीजन न्यायालय के आदेश के आधार पर नया वाद लाया जा सकेगा।
(द) उच्च न्यायालय के रिट में पारित आदेश के आधार पर नया वाद लाया जा सकेगा।

Que. In case of rejection of plaint under Order 7 Rule 11 -
(a) No suit can be brought on the same cause of action.
(b) Suit can be brought on the same cause of action.
(c) On the basis of order passed by Revisional Court, new suit can be brought.
(d) On the basis of order passed in Writ Petition by High Court, new suit can be brought.

प्र.क्र. 11– व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 24 के अतंर्गत किसी वाद के संबंध में अन्तरण और प्रत्याहरण की शक्ति अन्तनिहित है :
(अ) केवल उच्च न्यायालय को है।
(ब) उच्च न्यायालय व जिला न्यायालय को है।
(स) उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय व जिला जज तीनों को है।
(द) केवल जिला न्यायालय को है।

Que. Powers under S. 24 of Code of Civil Procedure regarding transfer and withdrawal of a suit are vested -
(a) Only in High Court.
(b) In High Court and District Court.
(c) In Supreme Court, High Court and District Court.
(d) Only in District Court.

प्र.क्र. 12– पृथक विचारण का आदेश दिया जा सकेगा –
(अ) जहाँ एक ही वाद में वाद हेतुक के संयोजन से विचारण में उलझन या विलम्ब हो जायेगा या ऐसा करना असुविधाजनक होगा।
(ब) सिर्फ उच्च न्यायालय के आदेश पर
(स) जिला न्यायाधीश के आदेश पर
(द) (ब) एवं (स) दोनों सही हैं।

Que. Order for separate trials may be passed -
(a) Where joinder of cause of action in one suit may embarrass or delay the trial or is otherwise inconvenient.
(b) Only on the orders of High Court.
(c) On orders of District Judge
(d) (b) and (c) both are correct

प्र.क्र. 13– डिक्री के संबंध में क्या सही नहीं है –
(अ) डिक्री न्यायनिर्णयन की प्ररूपिक अभिव्यक्ति है जो, जहाँ तक कि वह उसे अभिव्यक्त करने वाले न्यायालय से संबंधित है, वाद के सभी या किन्ही विवादग्रस्त विषयों के संबंध में पक्षकारों के अधिकारों का निश्चायक रूप से अवधारण करती है।
(ब) डिक्री प्रारम्भिक या अन्तिम हो सकेगी।
(स) डिक्री के अंतर्गत वादपत्र का नामंजूर किया जाना शामिल है
(द) डिक्री के अंतर्गत धारा 144 के भीतर के किसी प्रश्न का अवधारण नहीं आता है।

Que. What is not correct regarding a Decree -
(a) Decree means the formal expression of an adjudication which, so far as regards the Court expressing it, conclusively determines the rights of the parties with regard to all or any of the matters in controversy.
(b) It may be either preliminary or final
(c) It includes the rejection of plaint.
(d) It does not include determination of any question within section 144.

प्र.क्र. 14– अंतःकालीन लाभ के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है ?
(अ) लाभ जो सम्पत्ति पर सदोष कब्जा रखने वाले व्यक्ति को वस्तुतः प्राप्त होता है
(ब) लाभ जो सम्पत्ति पर सदोष कब्जा रखने वाला व्यक्ति मामूली तत्परता से प्राप्त कर सकता है
(स) सदोष कब्जा रखने वाले व्यक्ति द्वारा प्राप्त किये गये लाभों पर ब्याज
(द) सदोष कब्जा रखने वाले व्यक्ति द्वारा की गई अभिवृद्धियों के कारण हुए लाभ

Que. "Mesne profits" do'es not include :
(a) Profit which a person in wrongful possession of property has actually received
(b) Profit which a person in wrongful possession of property might with ordinary diligence have received
(c) Interest on the profit received by a person in wrongful possession of property
(d) Profits due to improvement made by the person in wrongful possession of property

प्र.क्र. 15– कार्यवाही जिससे एक डिक्रीधारी तीसरे पक्ष के पास रखी देनदार (judgment debtor) की राशि या सम्पत्ति से किसी डिक्री का निष्पादन करता है, उसे कहा जाता है:
(अ) एक अंतर अभिवचनीय वाद

(ब) मध्यवर्ती लाभ
(स) गार्निशी आदेश
(द) प्रस्थापन

Que. Proceedings by which a decree holder seeks to recover money or property of judgment debtor in the hands of third party, is known as :
(a) Inter pleader suit
(b) Mesne profit
(c) Garnishee order
(d) Subrogation

प्र.क्र. 16– आदेश 11 लागू होगा :
(अ) अवयस्क वादी पर
(ब) अवयस्क प्रतिवादी पर
(स) निर्योग्यताधीन व्यक्तियों के वाद मित्रों और वादार्थ संरक्षकों को
(द) उपरोक्त सभी पर

Que. Order 11 shall apply to:
(a) Minor plaintiff
(b) Minor defendant
(c) The next friends and guardians for the suits of persons under disability
(d) All the above

प्र.क्र. 17– वाद मित्र या वादार्थ संरक्षक द्वारा न्यायालय की अभिलिखित इजाजत के बिना किया गया कोई करार या समझौता होगा :
(अ) अवयस्क से भिन्न सभी पक्षकारों के विरूद्ध शून्य
(ब) अवयस्क से भिन्न सभी पक्षकारों के विरूद्ध शून्यकरणीय
(स) शून्य
(द) शून्यकरणीय

Que. Without the leave of the court any agreement or compromise by next friend or guardian for the suit shall :
(a) Void against all the parties other than minor
(b) Voidable against all the parties other than minor
(c) Void
(d) Voidable

Limitation Act, 1963

(Section 3, 5 to 14, 27 & 29 Articles 64, 65 & 137)

प्र.क्र. 18– "आधिपत्य के प्रत्युद्धरण और स्वत्व की घोषणा के लिये वाद–प्रतिकूल आधिपत्य के आधार पर स्वत्व अधिकार प्राप्त करने वाला व्यक्ति अनुच्छेद 65 के अंतर्गत वाद प्रस्तुत कर सकता है।" यह सिद्धांत माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अधोलिखित न्यायदृष्टांत में प्रतिपादित किया गया है।

(अ) गुरूद्वारा साहिब वि. ग्राम पंचायत ग्राम सिरथला एवं अन्य, (2014) 1 एस.सी.सी. 669
(ब) ऋषभ चंद जैन एवं अन्य वि. गिनेश चंद्र जैन, 2017 (1) एम.पी.एल.जे. 1 (एस.सी.)
(स) रविन्दर कौर ग्रेवाल एवं अन्य वि. मनजीत कौर एवं अन्य, ए.आई.आर. 2019 एस.सी. 3827
(द) पंजाब स्टेट सिविल सप्लाइ कॉर्पोरेशन लि. एवं अन्य वि. रमेश कुमार व कंपनी लि., ए. आई.आर. 2021 एस.सी. 5758

Que. "Suit for declaration of title and for restoration of possession, a person perfecting title by virtue of adverse possession can maintain a suit under Article 65." This principle has been pronounced by the Hon'ble Apex Court in the following citation -

(a) Gurudwara Sahib v. Gram Panchayat Village Sirthala and another, (2014) 1 SCC 669
(b) Rishabh Chand Jain & anr. vs. Ginesh Chandra Jain, 2017(1) MPLJ 1 (SC)
(c) Ravinder Kaur Grewal and ors. v. Manjit Kaur and ors., AIR 2019 SC 3827
(d) Punjab State Civil Supplies Corporation Ltd. and anr v. Ramesh Kumar and Company and ors., AIR 2021 SC 5758

प्र.क्र. 19– पूर्ववर्ती कब्जे के आधार पर अचल संपत्ति के कब्जे का वाद जबकि वादी का संपत्ति पर कब्जा होते हुए उसे बेकब्जा कर दिया गया हो, परिसीमा अधिनियम, 1963 के निम्न अनुच्छेद से शासित होगा –

(अ) अनुच्छेद 64
(ब) अनुच्छेद 65
(स) अनुच्छेद 68
(द) अनुच्छेद 137

Que. Suit for possession of immovable property based on previous possession when the plaintiff while in possession of the property has been dispossessed will be governed by the following article of Limitation Act, 1963-

(a) Article 64
(b) Article 65
(c) Article 68
(d) Article 137

प्र.क्र. 20– धारा 4 से 24 मे अंतर्विष्ट उपबंधों के अध्यधीन विहित काल के पश्चात हर संस्थित वाद में, की गई अपील और किया गया आवेदन खारिज कर दिया जायेगा परन्तु

(अ) केवल प्रतिरक्षा के तौर पर जवाब में परिसीमा की बात उठाने पर ही।
(ब) प्रतिरक्षा के तौर पर जवाब में परिसीमा की बात उठाना आवश्यक नहीं है।
(स) अपील या आवेदन में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु आवेदन पेश नहीं किया जा सकता।
(द) वाद प्रस्तुति में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 के अतंर्गत आवेदन पेश किया जा सकता है।

Que. Subject to provisions contained in Sections 4 to 24 every suit instituted, appeal preferred and application made after the prescribed period shall be dismissed but -

(a) only on set up as defence in reply about limitation
(b) it is not necessary to set up as defence in reply about limitation
(c) no application for condonation in appeal or application can be filed
(d) For condonation of delay in filing suit, an application under S. 5 can be filed

प्र.क्र. 21– मर्यादा अधिनियम के प्रावधान –

(अ) संविदा अधिनियम पर लागू नहीं होते हैं
(ब) भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 25 पर प्रभाव नहीं डालते हैं
(स) संपत्ति अंतरण अधिनियम पर प्रभाव नहीं डालते हैं
(द) उपरोक्त तीनों गलत हैं।

Que. Provisions of Limitation Act -

(a) Are not applicable to Indian Contract Act
(b) Not affect provisions of S. 25 of Contract Act
(c) Are not applicable to Transfer of Property Act
(d) All the above three are wrong

प्र.क्र. 22– अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत अप्राप्तवय में सम्मिलित है :

(अ) सात वर्ष की आयु से कम का बालक
(ब) पंद्रह वर्ष की आयु से कम का बालक
(स) अठारह वर्ष की आयु से कम का बालक
(द) गर्भस्थ अपत्य

Que. Under section 6 of the Act, a 'minor' includes :

(a) Child Below the age of 7 years
(b) Child Below the age of 15 years
(c) Child Below the age of 18 years
(d) Child in the womb

Specific Relief Act, 1963

(Chapter I - Section 5, 6, 7 & 8, Chapter VI - Section 34 & 35, Chapter VIII - Section 38 & 41)

प्र.क्र. 23– धारा 6 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के अंतर्गत स्थावर संपत्ति के कब्जे के लिए वाद लाया जा सकता है, बेदखली से ..... के अंदर ।

(अ) 6 माह
(ब) एक वर्ष
(स) तीन वर्ष
(द) बारह वर्ष

Que. A suit for possession of an immovable property, under section 6 of Specific Relief Act can be filed within ..... of dispossession.
(a) 6 months
(b) 1 year
(c) 3 year
(d) 12 year

प्र.क्र. 24– धारा 35 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 के अनुसार, विधिक हैसियत की घोषणा के वाद में प्रदत्त एक घोषणात्मक डिक्री आबद्धकर है–
(अ) केवल वाद के पक्षकारों पर
(ब) कोई भी पक्ष जो ट्रस्टी हो
(स) वादी और प्रतिवादी के माध्यम से दावा करने वाले व्यक्ति पर
(द) उपरोक्त सभी पर

Que. According to Section 35 of the Specific Relief Act, a declaratory decree given in a suit for declaration of legal character is binding on the -
(a) Only on the parties of the suit
(b) Where any of the parties are trustees
(c) person claiming through any of the plaintiff or defendant
(d) all of the above

प्र.क्र. 25– कोई व्यक्ति जो किसी विधिक हैसियत का या किसी सम्पत्ति के बारे में किसी अधिकार का हकदार हो, सम्पत्ति पर कब्जाधारी जो उसकी ऐसी हैसियत का या ऐसे अधिकार का प्रत्याख्यान करता है के विरुद्ध –
(अ) मात्र घोषणा की सहायता का दावा प्रस्तुत कर सकता है
(ब) उसे कब्जे व घोषणा की सहायता का दावा प्रस्तुत करना होगा।
(स) मात्र घोषणा व क्षतिपूर्ति की सहायता का दावा प्रस्तुत कर सकता है
(द) मात्र घोषणा व किराये की सहायता का दावा प्रस्तुत कर सकता है

Que. Any person entitled to any legal character, or to any right as to any property, may institute a suit against any person having possession over the property and denying his title to such character or right
(a) can bring a suit only for the relief of declaration
(b) he has to file suit for the relief of possession and declaration
(c) he can file suit only for relief of declaration and compensation
(d) he can file suit only for relief of declaration and rent

प्र.क्र. 26– 'जहां कि व्यादेश न्यायिक कार्यवाहियों के बाहुल्य निवारित करने के लिए आवश्यक हो,' किस धारा से संबंधित है :
(अ) धारा 35
(ब) धारा 38(2)
(स) धारा 38(3)(ग)
(द) धारा 38(3)(घ)

Que. Where the injunction is necessary to prevent a multiplicity of judicial proceeding provided under which section :

(a) Section 35
(b) Section 38 (2)
(c) Section 38(3)(c)
(d) Section 38(3)(d)

प्र.क्र. 27– निम्नलिखित में से कौन सी शर्त अधिनियम की धारा 8 की प्रयोज्यता के लिए आवश्यक नहीं है?

(अ) दावाकृत वस्तु प्रतिवादी द्वारा वादी के न्यासी के रूप में धारित हो
(ब) वादी वस्तु का तुरंत आधिपत्य प्राप्ति का पात्र हो
(स) सम्पत्ति अचल सम्पत्ति होना चाहिए
(द) वस्तु का कब्जा वादी के आधिपत्य से सदोषतः अंतरित कराया गया हो

Que. Which of the following is not the necessary condition for applicability of section 8 of the Act ?

(a) The thing claimed is held by the defendant as the trustee of the plaintiff
(b) The plaintiff must be entitled to immediate possession of the article
(c) Property must be Immovable property
(d) Possession of the thing claimed has been wrongfully transferred from the plaintiff

Motor Vehicle Act, 1988

प्र.क्र. 28– मोटरयान अधिनियम,1988 की किस धारा के अंतर्गत संरचनात्मक सूत्र के आधार पर मुआवजे के भुगतान का विशेष प्रावधान किया गया है–

(अ) धारा 140
(ब) धारा 163
(स) धारा 166
(द) उपरोक्त में कोई नहीं

Que. Under which section of the Motor Vehicle Act, 1988 special provision as to payment of compensation on structured formula basis, is provided ?

(a) Section 140
(b) Section 163
(c) Section 166
(d) none of these

प्र.क्र. 29– नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लि. वि. प्रणय सेठी एवं अन्य, ए.आई.आर. 2017 एस.सी. 5157 के न्यायदृष्टांत में यदि मृतक एक निश्चित वेतन पर या स्वनियोजन में था, तो उसकी स्थापित आय में उसकी भविष्य की संभावना के लिये कितने प्रतिशत राशि जोड़ी जावेगी, जहां मृतक की उम्र 50 से 60 के बीच में हो ?

(अ) 10 प्रतिशत
(ब) 15 प्रतिशत
(स) 25 प्रतिशत
(द) इनमें से कोई नहीं

Que. According to the citation of **National Insurance Company limited Vs. Pranay Sethi and others, AIR 2017 SC 5157**, In case the deceased was self employed or on a fixed salary, what would be the addition for future prospectus in percentage of his established income, where deceased was between the age of 50 to 60 years ?
(a) 10%
(b) 15%
(c) 25%
(d) None of the above

प्र.क्र.30– मोटरयान अधिनियम में वर्ष 2019 में हुए संशोधन के अनुसार धारा 164 के अंतर्गत त्रुटिरहित दायित्व के अंतर्गत –
(अ) मृत्यु के मामले में पांच लाख रुपये या गंभीर क्षति के मामले में दो लाख पचास हजार रुपये की निश्चित राशि मृतक के वारिसों को या उपहत को, जैसा भी मामला हो देय है।
(ब) मृत्यु के मामले में दो लाख रुपये व गंभीर क्षति के मामले में पचास हजार रुपये की निश्चित राशि देय है।
(स) मृत्यु के मामले में बारह लाख रुपये व गंभीर क्षति के मामले में छह लाख रुपये की निश्चित राशि देय है।
(द) दावेदार की आय के अनुपात में सरला वर्मा वाले मामले में दिए गए दिशा निर्देशों अनुसार राशि देय होगी।

Que. As per amendments made in the year 2019 in Motor Vehicles Act under Section164 in case of no-fault liability –
(a) Compensation of a sum of Rs. five lakh in case of death or of two & half lakh rupees in case of grievous hurt to the legal heirs or the victim, as the case may be is payable.
(b) A fix amount of Rs. Two lakh in case of death and Fifty thousand rupees in case of grievous hurt is payable.
(c) A fix amount of Rs. Twelve lakh in case of death and Six lakh rupees in case of grievous hurt is payable.
(d) Compensation will be payable in proportion to income of claimant as directed in case of Sarla Verma.

प्र.क्र. 31– रेस इप्सा लाक्विटुर (परिस्थितियां स्वयं बोलती हैं) का सिद्धांत –
(अ) मोटर दुर्घटना दावा मामलों में लागू नहीं है।
(ब) मोटर दुर्घटना दावा मामलों में लागू है।
(स) भारत के मोटर दुर्घटना दावा न्यायालयों में लागू नहीं है।
(द) न्यायालय का विवेक है कि इसे लागू करे या न करे।

Que. The maxim res ipsa loquitur (the thing speaks for itself) –
(a) Not applicable in motor accident claims cases.
(b) Applicable in motor accident claims cases.
(c) Not applicable in Indian motor accident claims Courts.
(d) It is discretion of a Court to apply it or not.

प्र.क्र. 32– किस मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अवधारित किया है कि सभी परिस्थितियों में अधिकरण के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह आहत द्वारा प्रस्तुत विकलांगता प्रमाण पत्र को सीधे ही स्वीकार करे ?
(अ) डी. सम्पत बनाम यूनाईटेड इण्डिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य
(ब) मास्टर मल्लिकार्जुन बनाम डिवीजनल मैनेजर नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य
(स) नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी और अन्य
(द) राजकुमार बनाम अजय कुमार और अन्य

Que. In which case Hon'ble Supreme Court held that under all circumstances it is not necessary that the Tribunal has to blindly accept disability certificate produced by the injured ?
(a) D. Sampath Vs United India Insurance Co. Ltd. and ors.
(b) Master Mallikarjun Vs Divisional Manager National Insurance Company Ltd. and ors.
(c) National Insurance Co. Ltd. Vs Pranay Sethi and ors.
(d) Raj Kumar Vs Ajay Kumar and ors.

Code of Criminal Procedure, 1973

प्र.क्र.33– यदि अपराध केवल जुर्माने से दण्डनीय है तो उसके संज्ञान लेने की परिसीमा क्या होगी –
(अ) 3 माह
(ब) 6 माह
(स) 1 वर्ष
(द) 3 वर्ष

Que. If the offence is punishable with fine only, the period of limitation for taking cognizance of it shall be -
(a) 3 months
(b) 6 months
(c) 1 year
(d) 3 years

प्र.क्र. 34– प्रथम सूचना रिपोर्ट में एक अपराध संज्ञेय हो तथा दूसरा असंज्ञेय हो, तब अपराध क्या कहलायेगा–
(अ) संज्ञेय
(ब) असंज्ञेय
(स) वारंट केस
(द) समंस केस

Que. In a first information report an offence is cognizable and other is non - cognizable, the whole case shall be deemed to be -
(a) Cognizable
(b) Non-cognizable
(c) Warrant case
(d) Summons case

प्र.क्र.35– यदि एक आपराधिक अपील में एक अभियुक्त की मृत्यु हो जाती है और उसके निकट संबंधी अपील जारी रखना चाहते हैं, तो उन्हें कितनी अवधि के भीतर आवेदन करना होगा–
(अ) 120 दिन
(ब) 90 दिन
(स) 60 दिन
(द) 30 दिन

Que. If in a criminal appeal an accused dies and his near relatives wish to continue the appeal, then within how much period they must apply ?
(a) 120 days
(b) 90 days
(c) 60 days
(d) 30 days

प्र.क्र. 36– भोपाल में एक नाबालिग लड़की अपने पिता के साथ रहती थी। वह आरोपी से घनिष्ठ हो गई और आरोपी के साथ टैक्सी से भोपाल से छिंदवाड़ा भाग गई। कुछ समय बाद, वे अंततः बैतूल में बस गए। अपहरण के अपराध का विचारण किया जा सकता है–
(अ) भोपाल में
(ब) छिंदवाड़ा में
(स) बैतूल में
(द) उपरोक्त वर्णित किसी भी जगह

Que. A minor girl lived with her father at Bhopal. She became intimate with the accused and ran away with the accused from Bhopal to Chhindwara in a taxi. After some time, they eventually settled in Baitul. An offence of kidnapping may be tried -
(a) at Bhopal
(b) at Chhindwara
(c) at Baitul
(d) at any place mentioned above.

प्र.क्र. 37– एक मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट में अन्तर्विष्ट होना चाहिए –
(अ) अभियुक्त का नाम एवं पता
(ब) मृत्यु के दृश्यमान कारण
(स) हथियारों का विवरण
(द) घटना के साथ, घटना के समय व स्थान का विवरण

Que. An inquest report must contain :
(a) The names and address of accused
(b) The apparent cause of death
(c) The details of weapons
(d) The details of incident along with time and place of incident.

प्र.क्र. 38– दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 265ए के अंतर्गत 'अभिवाक सौदेबाजी' कितनी अवधि तक के कारावास से दण्डनीय अपराध के लिए प्रयोज्य है ?
(अ) 05 साल
(ब) 07 साल
(स) 02 साल
(द) 03 साल

Que. Under section 265A of the Cr.P.C., plea bargaining is applicable for offences punishable with imprisonment for a term which may extend to ?
(a) 05 years
(b) 07 years
(c) 02 years
(d) 03 years

प्र.क्र. 39– दण्ड प्रकिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2005 के माध्यम से नमूना हस्ताक्षर या हस्तलेख देने के लिए किसी व्यक्ति को आदेश देने की मजिस्ट्रेट की शक्ति किस धारा में प्रविष्टित की गई है ?
(अ) धारा 310 क दं.प्र.सं.
(ब) धारा 311 क दं.प्र.सं.
(स) धारा 312 क दं.प्र.सं.
(द) धारा 313 क दं.प्र.सं.

Que. The power of Magistrate to order to a person to give specimen signature or handwriting has been inserted by Criminal Procedure (Amendment) Act 2005 under section ?
(a) 310 A Cr.P.C.
(b) 311 A Cr.P.C.
(c) 312 A Cr.P.C.
(d) 313 A Cr.P.C.

प्र.क्र. 40– निम्न में से किस मामले में एसिड अटैक के मामलों में क्षतिपूर्ति के निर्देश दिए गए हैं
(अ) हरिशंकर वि. म.प्र. राज्य 1996 जेएलजे 442
(ब) विनुभाई हरीभाई मालविय व अन्य वि. गुजरात राज्य व अन्य, 2019 एससीसी ऑनलाईन एससी 1346
(स) लक्ष्मी वि. युनियन ऑफ इंडिया, (2014) 4 एससीसी 427
(द) दामोदर शर्मा व अन्य वि. नाथूराम जाटव व अन्य 2007 (2) एमपीएचटी 111

Que. In which of the following case, directions of granting compensation in Acid attack cases has been issued.

(a) Harishankar v. State of M. P. 1996 JLJ 442

(b) Vinubhai Haribhai Malviya and ors. V. State of Gujrat and anr., 2019 SCC online SC 1346

(c) Laxmi vs. Union of India, (2014) 4 SCC 427

(d) Damodar Sharma and others v. Nathuram Jatav and another 2007 (2) MPHT 111

प्र.क्र. 41– धारा 164 द.प्र.सं. के अन्तर्गत संस्वीकृतियों और कथनों को अभिलिखित किए जाने के बारे में निम्न में से क्या सही नहीं है।

(अ) कोई महानगर मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट चाहे उसे मामले में अधिकारिता हो या न हो अपने से की गई संस्वीकृति या कथन को अभिलिखित कर सकता है।

(ब) भले ही अनुसंधान ऐजेंसी ने न कहा हो, धारा मजिस्ट्रेट को स्वयं साक्षी के अनुरोध पर कथन अभिखित करने के लिय प्राधिकृत करती है।

(स) धारा के अधीन की गई संस्वीकृति या कथन, किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के अधिवक्ता की उपस्थिति में श्रव्य–दृश्य इलेक्ट्रानिक माध्यम से भी अभिलिखित किया जा सकेगा।

(द) संस्वीकृति ऐसे किसी पुलिस अधिकारी द्वारा अभिलिखित नही की जाएगी जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन मजिस्ट्रेट की शक्ति प्रदान की गई है।

Que. Which of the following is not correct regarding confessions and statements recorded under S. 164 CRPC.

(a) Any Metropolitan Magistrate or Judicial Magistrate, whether he has or not has jurisdiction in the case, may record any confession or statement made to him

(b) Section empower Magistrate to record statement on the request of witness even though not asked for the same, by investigating agency.

(c) Any confession or statement made under this sub-section may also be recorded by audio-video electronic means in the presence of the advocate of the person accused of any offence.

(d) No confession shall be recorded by a police officer to whom power of a Magistrate has been conferred under any law for the time being in force.

प्र.क्र. 42– निम्न में से किस मामले में किसी स्त्री की गिरफ्तारी के संबंध में निर्देश स्पष्ट किए गए है।

(अ) अशोक कुमार जैन वि. सेन्ट्रल ब्युरो ऑफ इंवेस्टिगेशन व अन्य 2006 (II) एमपीजेआर 253

(ब) म.प्र. राज्य वि. बदरी यादव व अन्य, 2006 (II) 227 (एससी)

(स) महाराष्ट्र राज्य वि. क्रिश्चियन कम्यूनिटि वेलफेयर कांसिल ऑफ इंडिया (2003) 8 एससीसी 546

(द) संजीव नंदा वि. स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली 2007 सीआर.एल.जे. 3786

Que. In which of the following case directions regarding arrest of a woman has been clarified.

(a) Ashok Kumar Jain v. Central Bureau of Investigation & Anr. 2006 (II) MPJR 253

(b) State of M.P. v. Badri Yadav & Anr. 2006 (II) 227 (SC)

(c) State of Maharashtra v. Christian community welfare Council of India (2003) 8 SCC 546

(d) Sanjeev Nanda v. State of NCT of Delhi 2007 Cr.L.J. 3786

प्र.क्र. 43– अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य, एआईआर 2014 सु.को. 2756 वाले मामले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने गिरफ्तारी के संबंध में कई निर्देश दिए हैं। यह मामला ..... से संबंधित था।

(अ) भा.द.वि. की धारा 324 और धारा 25 आयुध अधिनियम

(ब) भा.द.वि. की धारा 498ए एवं धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम

(स) भा.द.वि. की धारा 387

(द) भा.द.वि. की धारा 379

Que. In Arnesh Kumar v. State of Bihar, AIR 2014 SUPREME COURT 2756 Hon'ble Apx Court issued various directions regarding arrest, this case was related to an offence of –

(a) S. 324 IPC and S. 25 Arms Act

(b) S. 498A IPC and S. 4 Dowry Prohibition Act

(c) S. 387 IPC

(d) S. 379 IPC

प्र.क्र. 44– द.प्र.सं. की धारा 403 के अनुसार –

(अ) उच्च न्यायालय जो पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग कर रहा है उसके समक्ष स्वयं या किसी प्लीडर के माध्यम से सुने जाने का अधिकार पक्षकार को है।

(ब) सत्र न्यायालय जो पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग कर रहा है उसके समक्ष स्वयं या किसी प्लीडर के माध्यम से सुने जाने का अधिकार पक्षकार को है।

(स) अभिव्यक्त रूप से उपबंधित के सिवाय न्यायालय जो पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग कर रहा है उसके समक्ष स्वयं या किसी प्लीडर के माध्यम से सुने जाने का अधिकार किसी पक्षकार को नहीं है।

(द) अभिव्यक्त रूप से उपबंधित के सिवाय न्यायालय जो पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग कर रहा है उसके समक्ष स्वयं या किसी प्लीडर के माध्यम से सुने जाने का अधिकार पक्षकार को है।

Que. As per S. 403 of Cr.P.C.

(a) Before High Court exercising powers of revision a party has right to be heard either personally or by pleader.

(b) Before Sessions Court exercising powers of revision a party has right to be heard either personally or by pleader.

(c) Save as otherwise expressly provided, no party has any right to be

heard either personally or by pleader before any Court exercising its powers of revision;

(d) Save as otherwise expressly provided, party has right to be heard either personally or by pleader before any Court exercising its powers of revision;

प्र.क्र. 45– कुछ अपराधों का संज्ञान करने के लिए परिसीमा प्रावधानित है और कुछ दशाओं में समय का अपवर्जन किया जाता है। निम्न में से कौनसी अवस्था सही नहीं हैं।

(अ) परिसीमा–काल की संगणना करने में, उस समय का अपवर्जन किया जाएगा, जिसके दौरान कोई व्यक्ति चाहे प्रथम बार के न्यायालय में या अपील या पुनरीक्षण न्यायालय में अपराधी के विरुद्ध अन्य अभियोजन सम्यक तत्परता से चला रहा है।

(ब) जहाँ किसी अपराध की बाबत अभियोजन का संस्थित किया जाना किसी व्यादेश या आदेश द्वारा रोक दिया गया है वहाँ परिसीमा–काल की संगणना करने में व्यादेश या आदेश के बने रहने की अवधि को, जो अधिकतम छह माह की होगी अपवर्जित कर दिया जाएगा।

(स) जहाँ किसी अपराध के अभियोजन के लिए सूचना दी गई है, या जहाँ तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन सरकार या किसी अन्य प्राधिकारी की पूर्व अनुमति या मंजूरी किसी अपराध की बाबत अभियोजन संस्थित करने के लिए अपेक्षित है वहाँ परिसीमा–काल की संगणना करने में, ऐसी सूचना की अवधि या, यथा स्थिति, ऐसी अनुमति या मंजूरी प्राप्त करने के लिए आवश्यक समय अपवर्जित किया जाएगा।

(द) परिसीमा–काल की संगणना करने में, वह समय अपवर्जित कर दिया जाएगा जिसके दौरान अपराधी भारत से या भारत से बाहर किसी राज्य क्षेत्र से, जो केन्द्रीय सरकार के प्रशासन के अधीन है, अनुपस्थित रहा है।

Que. There is limitation provided for taking cognizance for certain offences and in certain conditions time would be excluded. Which of the following is not correct in this regard.

(a) In computing the period of limitation, the time during which any person has been prosecuting with due diligence another prosecution, whether in a Court of first instance or in a Court of appeal or revision, against the offender, shall be excluded:

(b) Where the institution of the prosecution in respect of an offence has been stayed by an injunction or order, then, in computing the period of limitation, the period of continuance of the injunction or order, which may be of maximum six months shall be excluded.

(c) Where notice of prosecution for an offence has been given, or where, under any law for the time being in force, the previous consent or sanction or the Government or any other authority is required for the institution of any prosecution for an offence, then, in computing the period of limitation, the period of such notice or, as the case may be, the time required for obtaining such consent or sanction shall be excluded.

(d) In computing the period of period of limitation, the time during which the offender has been absent from India or from any territory outside India which is under the administration of the Central Government, shall be excluded.

प्र.क्र. 46– सही चुनें – द.प्र.सं. की धारा 319 के अतंर्गत शक्तियों का प्रयोग –
(अ) साक्षी के मुख्य परीक्षण कथन के आधार पर किया जा सकता है।
(ब) सिर्फ बचाव के प्रक्रम पर किया जा सकता है।
(स) सिर्फ निर्णय के प्रक्रम पर किया जा सकता है
(द) अब प्रावधान अनावश्यक हो चुके हैं।

Que. Choose correct one - Power under S. 319 Cr.P.C.
(a) Can be exercised on the basis of examination-in-chief of a witness.
(b) Can be exercised only at the stage of defence.
(c) Can be exercised only at the stage of judgment.
(d) Now the provisions are redundant.

प्र.क्र. 47– धारा 100 के अंतर्गत तलाशी कार्यवाही हेतु क्या आवश्यक नहीं है ?
(अ) तलाशी के लिए मोहल्ले के दो या अधिक स्वतंत्र और प्रतिष्ठित निवासियों को साक्षी बनने के लिए बुलाना
(ब) तलाशी लिये जाने वाले स्थान के अधिभोगी को तलाशी के दौरान हाजिर रहने की अनुज्ञा
(स) तलाशी मेमो पर साक्षियों के हस्ताक्षर
(द) तलाशी सूची पर अभियुक्त के हस्ताक्षर

Que. What is not essential for search procedure under section 100 ?
(a) call upon two or more independent and respectable inhabitants of the locality to become witness of the search
(b) the occupant of the place searched, be permitted to attend during the search
(c) signature of witnesses on the search memo
(d) signature of the accused on the search list

प्र.क्र. 48– वे अनियमितताएं कार्यवाही को दूषित करती है, यदि कोई मजिस्ट्रेट जो विधि द्वारा इस निमित्त सशक्त ना होते हुये, करता है :–
(अ) धारा 94 के अधीन तलाशी वारण्ट जारी करना
(ब) धारा 176 के अधीन मृत्यु–समीक्षा करना
(स) किसी अपराधी का संक्षेपतः विचारण करना
(द) उपरोक्त सभी

Que. The irregularities vitiate the proceedings if any magistrate not being empowered in this behalf, does :
(a) issues search warrant under section 94
(b) holds an inquest under section 176

(c) tries an offender summarily
(d) all the above

प्र.क्र. 49– गिरफ्तारी वारण्ट निष्पादित किया जा सकता है :–
(अ) भारत में किसी भी स्थान पर
(ब) केवल उस राज्य में जहां ऐसा न्यायालय कार्यरत है
(स) केवल उस जिला में जहां ऐसा न्यायालय कार्यरत है
(द) उस न्यायालय की स्थानीय क्षेत्राधिकारिता में

Que. The warrant of arrest may be executed :-
(a) Any place in India
(b) Only in the State where such court is functioning
(c) Only in the District where such court is functioning
(d) Within the local jurisdiction of that court

Indian Evidence Act, 1872

प्र.क्र. 50– एक रजिस्ट्रीकृत विल (इच्छा पत्र) का निष्पादन सिद्ध करने के लिए –
(अ) कम से कम दो अनुप्रमाणक साक्षी को बुलाना होगा
(ब) कम से कम एक अनुप्रमाणक साक्षी को बुलाना होगा
(स) किसी अनुप्रमाणक साक्षी को बुलाना आवश्यक नहीं होगा
(द) रजिस्ट्रार को बुलाना आवश्यक होगा

Que. For proving execution of a registered Will -
(a) Be necessary to call at least two attesting witness
(b) Be necessary to call at least one attesting witness
(c) Not necessary to call any attesting witness
(d) Be necessary to call the Registrar

प्र.क्र. 51– धारा 31 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत स्वीकृतियां –
(अ) निश्चायक सबूत होती हैं
(ब) विबंध के रूप में प्रवर्तित हो सकती है
(स) हमेशा विसंगत होती हैं
(द) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Que. Under section 31 of the Indian Evidence Act, admissions are -
(a) Conclusive proof
(b) May operate as estoppels
(c) Always irrelevant
(d) None of the above

प्र.क्र. 52– धारा 90–ए भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत किसी प्रकरण विशेष में उचित अभिरक्षा से पेश किये गये इलेक्ट्रानिक अभिलेख पर लगाये गये इलेक्ट्रानिक हस्ताक्षर के बारे में उपधारण करने के लिए ऐसे इलेक्ट्रानिक अभिलेख का ..... वर्ष पुराना होना साबित किया जाना आवश्यक होगा –

(अ) एक वर्ष
(ब) तीन वर्ष
(स) पांच वर्ष
(द) तीस वर्ष

Que. Under Section 90-A of the Indian Evidence Act, to presume about the electronic signature affixed on an electronic record produced from the proper custody in any particular case, such electronic record is required to be proved ..... years old -
(a) one year
(b) three years
(c) five years
(d) thirty years

प्र.क्र. 53– विष द्वारा ख की हत्या करने के लिए क का विचारण किया जाता है, यह तथ्य, कि ख की मृत्यु से पूर्व क ने ख को दिए गए विष के जैसा विष उपाप्त किया था, अंतर्गत ..... सुसंगत है–
(अ) धारा 7 भारतीय साक्ष्य अधिनियम
(ब) धारा 8 भारतीय साक्ष्य अधिनियम
(स) धारा 10 भारतीय साक्ष्य अधिनियम
(द) धारा 14 भारतीय साक्ष्य अधिनियम

Que. A is tried for the killing of B by poison. The fact that, before the death of B, A procured poison similar to that which was administered to B, is relevant under -
(a) Section 7 of the Indian Evidence Act
(b) Section 8 of the Indian Evidence Act
(c) Section 10 of the Indian Evidence Act
(d) Section 14 of the Indian Evidence Act

प्र.क्र. 54– भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 30 के अन्तर्गत, एक अभियुक्त की संस्वीकृति सह अभियुक्त के विरूद्ध साक्ष्य में ग्राह्य हो सकती है –
(अ) यदि वे एक ही अपराध के लिए संयुक्त रूप से विचारित हैं
(ब) यदि वे अलग–अलग अपराध के लिए संयुक्त रूप से विचारित हैं
(स) यदि वे एक ही अपराध के लिए विचारित हैं, परन्तु संयुक्त रूप से नहीं
(द) उपरोक्त सभी में

Que. Under Section 30 of the Indian Evidence Act, confession of one accused may admissible in evidence against co-accused -
(a) if they are tried jointly for the same offence
(b) if they are tried jointly for different offences
(c) if they are tried for the same offences but not jointly
(d) All of the above

प्र.क्र. 55– धारा 113–ए भारतीय साक्ष्य अधिनियम किस प्रकार की उपधारणा प्रावधानित करती है –
(अ) दहेज मृत्यु
(ब) किसी विवाहित स्त्री द्वारा आत्महत्या के दुष्प्रेरण के बारे में
(स) बलात्संग के लिए कुछ अभियोजनों में सम्मति न होने के संबंध में उपधारणा
(द) उपरोक्त में से कोई नहीं

Que. Section 113-A of the Indian Evidence Act, provides presumption as to -
(a) dowry death
(b) abatement of suicide by a married women
(c) Absence of consent in certain prosecutions of rape
(d) None of the above

प्र.क्र. 56– "निश्चायक सबूत" के संबंध में निम्न में से क्या सही है।
(अ) जहाँ इस अधिनियम द्वारा एक तथ्य किसी अन्य तथ्य का निश्चायक सबूत घोषित किया गया है, वहाँ न्यायालय उस एक तथ्य के साबित हो जाने पर उस अन्य को साबित मानेगा और उसे नासाबित करने के प्रयोजन के लिए साक्ष्य दिए जाने की अनुज्ञा नहीं देगा।
(ब) जहाँ साक्ष्य अधिनियम द्वारा एक तथ्य किसी अन्य तथ्य का निश्चायक सबूत घोषित किया गया है, वहाँ न्यायालय उस एक तथ्य के साबित हो जाने पर उस अन्य को साबित मानेगा परन्तु उसे नासाबित करने के प्रयोजन के लिए साक्ष्य दिए जाने की अनुज्ञा देगा।
(स) जहाँ साक्ष्य अधिनियम द्वारा एक तथ्य किसी अन्य तथ्य का निश्चायक सबूत घोषित किया गया है, वहाँ न्यायालय उस एक तथ्य के साबित हो जाने पर उस अन्य को उपधारित करेगा।
(द) जहाँ साक्ष्य अधिनियम द्वारा एक तथ्य किसी अन्य तथ्य का निश्चायक सबूत घोषित किया गया है, वहाँ न्यायालय उस एक तथ्य के साबित हो जाने पर उस अन्य को उपधारित कर सकता है नहीं भी कर सकता है।

Que. What is correct in the following regarding "Conclusive proof"
(a) When one fact is declared by this Act to be conclusive proof of another, the Court shall, on proof of the one fact, regard the other as proved, and shall not allow evidence to be given for the purpose of disproving it.
(b) When one fact is declared by this Act to be conclusive proof of another, the Court shall, on proof of the one fact, regard the other as proved, but shall allow evidence to be given for the purpose of disproving it.
(c) When one fact is declared by this Act to be conclusive proof of another, the Court shall, on proof of the one fact, regard the other as proved, shall presume other fact.
(d) When one fact is declared by this Act to be conclusive proof of another, the Court shall, on proof of the one fact, regard the other as proved, may or may not presume other fact.

प्र.क्र. 57– काउण्टर केस के मामले में कौनसा सही है –

(अ) एक मामले की साक्ष्य उसके काउण्टर मामले में विचार में नहीं ली जा सकती।

(ब) एक मामले की साक्ष्य उसके काउण्टर मामले में विचार में ली जा सकती है।

(स) प्रत्येक मामले को उस मामले की साक्ष्य के आधार पर निराकृत किया जाना चाहिए यह काउण्टर मामलों में लागू नहीं होता।

(द) प्रत्येक मामले को उस मामले की साक्ष्य के आधार पर निराकृत किया जाना चाहिए या नहीं यह मामलों की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।

Que. Which one is correct in regard to counter case -

(a) Evidence of one case cannot be considered in its counter case.

(b) Evidence of one case can be considered in its counter case.

(c) Each case is to be decided on the basis of evidence available on record in the case is not applicable in counter cases.

(d) Each case is to be decided on the basis of evidence available on record is depends upon facts and circumstances of cases.

प्र.क्र. 58– पति द्वारा पुत्री के पितृत्व के निर्धारण हेतु डी एन ए परीक्षण हेतु आवेदन दिया। पत्नी द्वारा डी एन ए परीक्षण से इंकारी की दशा में, न्यायालय के लिए क्या कार्यप्रणाली अपनाना उचित होगा।

(अ) न्यायालय पत्नी को डी एन ए परीक्षण हेतु बाध्य कर सकता है।

(ब) विवाहित स्थिति के दौरान जन्म होना धर्मजत्व का निश्चायक सबूत है, इसलिए पत्नी की इंकारी मान्य की जावेगी।

(स) साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के दृष्टांत (ज) के अंतर्गत उसके विरुद्व प्रतिकूल उपधारणा इस सीमा तक की जा सकेगी कि पत्नी एक या अधिक अवसरों पर पति के प्रति विश्वासघाती रही है।

(द) न्यायालय विवाद के निराकरण हेतु अन्य कोई विकल्प अपनाएगा।

Que. Application given by husband for conducting DNA test to examine paternity of daughter. Refusal by wife to undergo DNA examination. What will be the proper course for a Court to adopt in such situation.

(a) Court may compel the wife to undergo test.

(b) Birth during marriage is conclusive proof of paternity, therefore, wife's refusal will be accepted.

(c) Adverse inference u/S 114, illustration (h) of Evidence Act can be drawn to the extent that wife had been unfaithful to her husband on one or more occasions.

(d) Court will choose any other option to decide dispute.

प्र.क्र. 59– एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षी की साक्ष्य के सम्बन्ध में क्या सही है –

(अ) किसी चिकित्सीय साक्ष्य से पुष्ट होनी चाहिए।

(ब) किसी अन्य साक्षी की साक्ष्य से सम्पुष्ट होनी चाहिए।

(स) यदि साक्षी का अभिकथन विश्वसनीय पाया जाये तो दोषसिद्धी का आधार हो सकता है।

(द) साक्षी का अभिकथन विश्वसनीय पाया जाये तो भी दोषसिद्धी का आधार नहीं हो सकता है।

Que. What is correct regarding testimony of sole eye witness -
(a) it must be supported by medical evidence.
(b) it must be supported by any other evidence.
(c) If the version of a single witness is found reliable then can be the foundation of conviction.
(d) Even if the version of a single witness found reliable, it cannot be the foundation of conviction.

प्र.क्र. 60– साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के अनुसार जबकि कोई तथ्य विशेषतः किसी व्यक्ति के ज्ञान में है, तब उस तथ्य को साबित करने का भार उस पर है।
(अ) यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में अभियोजन को परिस्थितियों की कड़ियों को साबित करने के दायित्व से मुक्त करती है।
(ब) यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में अभियोजन को परिस्थितियों की कड़ियों को साबित करने के दायित्व से मुक्त नहीं करती है।
(स) परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले से धारा 106 का कोई सम्बन्ध ही नहीं है।
(द) यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में अभियुक्त पर अपने बचाव में परिस्थितियों की कड़ियों को साबित करने का भार डालती है।

Que. According to S. 106 of Evidence Act, when any fact is especially within the knowledge of any person, the burden of proving that fact is upon him.
(a) It relieves the duty of the prosecution to prove the chain of circumstances in case of circumstantial evidence.
(b) It does not relieve the duty of the prosecution to prove the chain of circumstances in case of circumstantial evidence.
(c) There is no relevance of S. 106 Evidence Act with the circumstantial evidence.
(d) It imposes burden on accused to prove chain of circumstances in his defence.

प्र.क्र. 61– साक्ष्य अधिनियम की धारा 114क के अंतर्गत बलात्संग के लिए कतिपय अभियोजन में सम्मति के न होने के बारे में उपधारणा हेतु क्या आवश्यक है।
(अ) स्त्री के द्वारा यह कथन कि उसने सम्मति दी।
(ब) अभियुक्त द्वारा मैथुन किया जाना साबित किया जाना।
(स) स्त्री की आयु की उपधारणा।
(द) अ और ब दोनों सही हैं।

Que. Under S. 114A of Evidence Act for presumption as to absence of consent in certain prosecution for rape what is essential.
(a) Statement of woman that she gave consent.
(b) Proving of sexual intercourse by accused.
(c) Persumtion about age of woman.
(d) a and b both are correct.

प्र.क्र. 62– भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा संबंधित है "पश्चातवर्ती तथ्यों द्वारा पुष्टि के सिद्धांत" से ?

(अ) धारा 27

(ब) धारा 44

(स) धारा 115

(द) धारा 165

Que. Which section of Indian Evidence Act deals with "Doctrine of confirmation by subsequent facts".

(a) section 27

(b) section 44

(c) section 115

(d) section 165

प्र.क्र. 63– स्मृति ताजी करने के लिए प्रयुक्त लेख के बारे में प्रतिपक्षी के अधिकार से संबंधित धारा कौन सी है ?

(अ) धारा 159

(ब) धारा 160

(स) धारा 161

(द) धारा 163

Que. Which section is relates to right of adverse party as to writing used to refresh memory ?

(a) section 159

(b) section 160

(c) section 161

(d) section 163

प्र.क्र. 64– न्यायालय उन बातों के बारे में सूचक प्रश्नों के लिए अनुज्ञा देगा जो ?

(अ) परिचयात्मक (इंट्रोडक्टरी) के रूप में है।

(ब) निर्विवाद है।

(स) सुसंगत है।

(द) (अ) और (ब) दोनों

Que. The Court shall permit leading questions as to matters which are ?

(a) introductory.

(b) undisputed.

(c) relevant.

(d) (a) and (b) both

Indian Penal Code, 1860

प्र.क्र. 65– 'अ' एक अंकसूची इस आशय से तैयार करता है कि वह मूल अंकसूची के रूप में नौकरी पाने हेतु उपयोग में लायी जाएगी। भा.दं.सं. के तहत, 'अ' ने अपराध किया है –

(अ) कूट रचना

(ब) छल करना
(स) रिष्टी करना
(द) इनमें से कोई नहीं

Que. A prepares a marksheet with an intention to use it as original to secure a job. Under I.P.C., he has committed offence of -
(a) forgery
(b) cheating
(c) mischief
(d) none of the above

प्र.क्र. 66– बलात्कार पीड़िता की पहचान को उजागर करने पर दण्ड की व्यवस्था भारतीय दण्ड संहिता की निम्नलिखित में से किस धारा में की गई है –
(अ) धारा 225
(ब) धारा 225 अ
(स) धारा 226
(द) धारा 228 अ

Que. Punishment for disclosure of identity of victim of rape is provided under which of the following provision of I.P.C.
(a) Section 225
(b) Section 225 A
(c) Section 226
(d) Section 228 A

प्र.क्र. 67– भारतीय दण्ड संहिता, 1860 – व्यपहरण के अपराध के लिए पीड़ित अवयस्क नर की उम्र .... होना चाहिए।
(अ) 14 वर्ष से कम
(ब) 16 वर्ष से कम
(स) 18 वर्ष से कम
(द) 21 वर्ष से कम

Que. Indian Penal Code, 1860 - For an offence of kidnapping, the age of victim minor male should be -
(a) under 14 years
(b) under 16 years
(c) under 18 years
(d) under 21 years

प्र.क्र. 68– जहाँ अपराध कारावास व जुर्माना दोनों से दण्डनीय है तब जुर्माना देने में व्यतिकम होने की दशा में कारावास की अवधि निम्न में कौन–सी होगी ?
(अ) उस अपराध के लिए विधि में वर्णित अधिकतम दण्ड के एक चौथाई भाग तक।
(ब) उस अपराध के लिए विधि में वर्णित अधिकतम दण्ड के तीन चौथाई भाग तक।
(स) उस अपराध के लिए विधि में वर्णित अधिकतम दण्ड के आधे भाग तक।

(द) उपरोक्त में कोई नहीं

Que. Where the offence is punishable with imprisonment and fine both then which of the following will be term of imprisonment in case of default in making the payment of fine ?

(a) One-fourth of the term of imprisonment which is the maximum fixed for the offence.

(b) Three-fourth of the term of imprisonment which is the maximum fixed for the offence.

(c) Half of the term imprisonment which is the maximum fixed for the offence.

(d) None of the above.

प्र.क्र. 69– "आपराधिक मानव वध जो हत्या की कोटि में नहीं आता" को कारित करने प्रयास दण्डनीय है–

(अ) धारा 305 भा.दं.वि.

(ब) धारा 306 भा.दं.वि.

(स) धारा 307 भा.दं.वि.

(द) धारा 308 भा.दं.वि.

Que. The offence of attempt to commit "culpable homicide not amounting to murder" is punishable under section -

(a) Section 305 IPC

(b) Section 306 IPC

(c) Section 307 IPC

(d) Section 308 IPC

प्र.क्र. 70– 'अ' जो कि जबलपुर के जिला न्यायाधीश द्वारा जारी किए गए समन के अनुपालन में साक्ष्य देने हेतु उपस्थित होने के लिए बाध्य है, साशय अदालत के सामने उपस्थित होने से विरत रहता है, 'अ' भारतीय दण्ड संहिता की किस धारा के अंतर्गत दोषी है–

(अ) धारा 173

(ब) धारा 174

(स) धारा 175

(द) धारा 176

Que. A, being legally bound to appear before District Judge, Jabalpur as witness in obedience to a summons issued by Court, intentionally omits to appear. A is guilty under which of the following provisions of I.P.C.-

(a) Section 173

(b) Section 174

(c) Section 175

(d) Section 176

प्र.क्र. 71– कौन सा अपराध है, जिसकी तैयारी भी दण्डनीय है–

(अ) चोरी
(ब) डकैती
(स) हत्या
(द) बलात्संग

Que. What is the offence, whose preparation is also punishable ?
(a) Theft
(b) Dacoity
(c) Murder
(d) Rape

प्र.क्र. 72– डाकूओं की एक टोली द्वारा अभिगृहित और तत्काल मृत्यु की धमकी द्वारा किसी बात के करने के लिए विधिना अपराध है, विवश किया गया व्यक्ति, जैसे एक लोहार, जो अपने औजार लेकर एक गृह का द्वारा तोड़ने के लिए विवश किया जाता है, जिससे डाकू उसमें प्रवेश कर सकें और उसे लूट सकें। उस लोहार का कृत्य –
(अ) भा.द.वि. की धारा 94 के अन्तर्गत अपवाद में आता है और अपराध नहीं है
(ब) किसी अपवाद में नहीं आता और अपराध है।
(स) उसे भा.द.वि. की धारा 34 के साथ समान्य आशय के अग्रसरण में किए गए कार्य के लिए अभियोजित किया जावेगा।
(द) उसे भा.द.वि. की धारा 149 के साथ समान्य उदेश्य के अग्रसरण में किए गए कार्य के लिए अभियोजित किया जावेगा।

Que. A person seized by a gang of dacoits, and forced, by threat of instant death, to do a thing which is an offence by law; for example, a smith compelled to take his tools and to force the door of a house for the dacoits to enter and plunder it. Act of smith -
(a) Comes under exception under S. 94 IPC and is not an offence.
(b) Does not come into any exceptions and is an offence.
(c) He shall be tried for offence committed in furtherance of common intention under S. 34 IPC.
(d) He shall be tried for offence committed in prosecution of common object under S.149 IPC.

प्र.क्र. 73– जो पांच या अधिक व्यक्तियों के किसी जमाव में, जिससे लोक शांति में विघ्न होना संभाव्य हो, ऐसे जमाव को बिखर जाने को समादेश विधिपूर्वक दे दिए जाने पर, यह जानते हुए सम्मिलित होगा या बना रहेगा, –
(अ) दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।
(ब) दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी और जुर्माने से दण्डित किया जाएगा।
(स) दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।
(द) दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी और जुर्माने से दण्डित किया जाएगा।

Que. Whoever knowingly joins or continues in any assembly of five or more persons likely to cause a disturbance of the public peace, after such assembly has been lawfully commanded to disperse -

(a) Shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to six months, or with fine, or with both.

(b) Shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to six months and shall also be liable to fine.

(c) Shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three months, or with fine, or with both.

(d) Shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three months and shall also be liable to fine.

प्र.क्र. 74– निम्न में से कौनसा भा.द.वि. की धारा 364–क का आवश्यक तत्व नहीं है–

(अ) किसी व्यक्ति का अपहरण या व्यपहरण या ऐसे व्यपहरण या अपहरण के पश्चात किसी व्यक्ति का निरोध।

(ब) ऐसे व्यक्ति को मृत्यु या उपहति कारित करने की धमकी।

(स) आचरण द्वारा ऐसी युक्तियुक्त आशंका उत्पन्न करना कि ऐसे व्यक्ति की हत्या या उपहति कारित की जा सकती है।

(द) किसी व्यक्ति का व्यपहरण या अपहरण उसका गुप्त रीति से और सदोष परिरोध किए जाने के आशय से।

Que. Which of the following is not essential ingredient of S. 364-A IPC:-

(a) Kidnapping or abduction of any person or keeps a person in detention after such kidnapping or abduction.

(b) Threatens to cause death or hurt to such person.

(c) Conduct gives rise to a reasonable apprehension that such person may be put to death or hurt.

(d) Kidnapping or abduction any person with intent to cause that person to be secretly and wrongfully confined.

प्र.क्र. 75– लड़की के विवाह के अवसर पर अभियुक्त अग्नि श्वांस से खेल रहा था और केन की सहायता से कण्डे पर मिट्टी का तेल डाल रहा था। गांव वालों ने उसे ऐसा करने से मना किया किन्तु वह नहीं माना जिस कारण केन ने आग पकड़ली और अभियुक्त ने उसे वहां खड़े बच्चों पर फेंक दिया, परिणामस्वरूप पांच बच्चों की मृत्यु हो गई। जब अभियुक्त आग से खेल रहा था तब उसे ज्ञात नहीं था कि उसके कृत्य का परिणाम ऐसी दुर्घटना होगा जिससे बच्चों की मृत्यु होगी। अभियुक्त ने खतरनाक कार्य करने हेतु कोई सावधानी नहीं रखी और उपेक्षापूर्ण तरीके से कार्य किया। अभियुक्त का कृत्य –

(अ) भा.द.वि. की धारा 304–क के अंतर्गत उपेक्षापूर्ण कार्य द्वारा मृत्यु कारित करने की परिधि में आता है।

(ब) भा.द.वि. की धारा 302 के अंतर्गत हत्या की श्रेणी में आता है।

(स) अपराधिक मानव वध जो धारा 304 के अंतर्गत हत्या नहीं

(द) जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का आशय था उससे भिन्न व्यक्ति की मृत्यु करके अपराधिक मानव वध अंतर्गत धारा 301 भा.द.वि.

Que. On the occasion of marriage of a girl, the accused was playing fire breathing and was pouring kerosene on the cow dung cake with cane. The villager asked him not to do so but he did not prevent himself due to which the cane caught fire and the accused threw the same onto the children standing over there. Resultantly, five children died. At the time when accused was playing fire breathing, he had no knowledge that his act would result in a accident causing death of children. Accused did not take precaution while playing/doing dangerous fire breathing and acted in a negligent manner. Act of accused falls within the ambit of:

(a) Death by negligence u/s 304-A IPC
(b) Murder u/s 302 IPC
(c) Culpable homicide not amounting to murder u/s 304
(d) Culpable homicide by causing death of person other than person whose death was intended. u/s 301.

प्र.क्र. 76– 'घृणास्पद भाषण' और 'विवादास्पद भाषण' में विभेद पर चर्चा की गई हैं :

(अ) पेट्रिशिया मुखीम वि. मेघालय राज्य, 2021 (ए एन जे) सु. को. 299
(ब) चमन लाल वि. हिमाचल प्रदेश राज्य, 2021 कि.लॉ.ज. 646
(स) यूनियन ऑफ इण्डिया वि. अशोक कुमार शर्मा व अन्य, ए.आई.आर 2020 सु. को. 5274
(द) अमीश देवगन वि. यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य (2021) 1 एस सी सी 1

Que. Distinction between "Hate speech" and "controversial speech" discussed in:

(a) Patricia Mukhim v. State of Meghalaya, 2021 (ANJ) SC 299
(b) Chaman Lal v. State of Himachal Pradesh, 2021 CriLJ 646
(c) Union of India v. Ashok Kumar Sharma and ors., AIR 2020 SC 5274
(d) Amish Devgan v. Union of India and ors., (2021) 1 SCC 1

प्र.क्र. 77– किस मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अवधारित किया है कि बलात्कार समाज में नैतिक एवं शारीरिक रूप से सबसे निंदनीय अपराध है, यह पीड़ित के शरीर, मस्तिष्क और निजता पर हमला है ?

(अ) दीपक गुलाटी बनाम हरियाणा राज्य
(ब) निपुन सक्सैना और अन्य बनाम भारत संघ
(स) अतुल वर्गीस बनाम केरला राज्य
(द) बिजोय बनाम बंगाल राज्य

Que. In which case Hon'ble Supreme Court held that rape is the most morally and physically reprehensive crime in society, as it is an assault on the body, mind and privacy of the victim ?

(a) Deepak Gulati vs State of Haryana
(b) Nipun Saxena and another vs Union of India
(c) Atul Varghese vs State of Kerala

(d) Bijoy vs State of West Bengal

प्र.क्र. 78– "मेकनॉटन का नियम" संबंधित है :
(अ) नशे में उन्मत्त व्यक्ति के कृत्य से
(ब) विकृतचित्त व्यक्ति के कृत्य से
(स) उस व्यक्ति से जो तुच्छ अपहानि कारित करता है
(द) शरीर की प्रायवेट प्रतिरक्षा से

Que. McNaughton's Rule is related to :
(a) To the act of intoxicated person
(b) To the act of unsound mind person
(c) To the person who causes slight harm
(d) Right to private defence of the body

प्र.क्र. 79– "इगनोरेनशिया जूनस नॉन एक्जूसेट (ignorantia juris non excusat)" सूत्र
(अ) दाण्डिक अपराधों पर लागू नहीं होता
(ब) अपवाद ग्रहण करता है
(स) अपवाद ग्रहण नहीं करता है
(द) केवल किसी विदेशी के मामले में जिसके बारे में युक्तियुक्त रूप से यह धारणा नहीं की जा सकती है कि वह देश के कानून को जानता था, अपराध ग्रहण करता है

Que. The maxim "ignorantia juris non excusat" :
(a) does not apply to criminal offences
(b) admits exceptions
(c) does not admits exceptions
(d) admits exception only in case of a foreigner who can not reasonably be supposed to know the law of land

प्र.क्र. 80– निम्नलिखित में से किस अपराध में निजी प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है ?
(अ) लूट
(ब) गृह अतिचार
(स) सम्पत्ति का आपराधिक दुर्विनियोग
(द) चोरी

Que. There is no right of private defence in which of the following offence?
(a) Robbery
(b) House trespass
(c) Criminal misappropriation of property
(d) Theft

Negotiable Instrument Act, 1881

(Section 138 to 142)

प्र.क्र. 81– मात्र चेक के अनादरण को छल कारित करने के आशय से किये गये कार्य के रूप में नहीं माना जा सकता है, इस प्रकार धारा 420 भा.दं.सं. के तहत अपराध घटित नहीं होता है। यह सिद्धांत अभी हाल में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा किस न्याय दृष्टांत में प्रतिपादित किया गया है ?

(अ) भूपेश राठौड़ वि. दयाशंकर प्रसाद चौरसिया एवं अन्य 2021(4) क्राइम्स 282 (एस.सी.)

(ब) सुनील टोड़ी एवं अन्य वि. गुजराज राज्य एवं अन्य, ए.आई.आर. 2022 एस.सी. 147

(स) श्रीपति सिंह (मृतक) द्वारा पुत्र गौरव सिंह वि. झारखंड राज्य एवं अन्य, 2021(4) क्राइम्स 273 (एस.सी.)

(द) नासिर बिन अबु बक यफई वि. महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य ए.आई.आर. 2021 एस.सी. 5076

Que. Mere dishonour of cheque cannot be construed as an act of a deliberate intention to cheat, offence under Section 420 of the IPC is not made out. This ratio is recently held by the Hon'ble Supreme Court in which of the following precedents ?

(a) Bhupesh Rathod Vs. Dayashankar Prasad Chaurasia and anr., 2021(4) Crimes 282 (SC)

(b) Sunil Todi and others Vs. State of Gujarat and anr., AIR 2022 SC 147

(c) Sripati Singh (since deceased) through his son Gaurav Singh V. State of Jharkhand and anr., 2021(4) Crimes 273 (SC)

(d) Naser Bin Abu Bakr Yafai v. State of Maharashtra and anr., AIR 2021 SC 5076

प्र.क्र. 82– परक्राम्य लिखत अधिनियम,1881 के अंतर्गत, एक चेक धारक, चेक की वैधता अवधि के दौरान चेक को कितने बार बैंक में पेश कर सकता है ?

(अ) केवल एक बार

(ब) दो बार

(स) तीन बार

(द) कितने भी बार

Que. Under Negotiable Instrument Act, 1881, how many times, a holder of a cheque can present it before a bank during the period of its validity ?

(a) Only once

(b) Twice

(c) Thrice

(d) Any number of times

प्र.क्र. 83– परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 139 के अंतर्गत क्या उपधारणा बनायी जा सकती है ?

(अ) यहकि चेक खाता धारण करने वाले व्यक्ति द्वारा लिखा गया है।

(ब) यहकि चेक किसी ऋण अथवा दायित्व के उन्मोचन हेतु जारी किया गया था।

(स) यहकि चेक यह सुनिश्चित करने के बाद जारी किया गया कि खाते में समुचित राशि उपलब्ध है।

(द) इनमें से कोई नहीं

Que. What presumption can be drawn u/s 139 of the Negotiable Instrument Act ?

(a) That the cheque signed by person who holds the account
(b) That the cheque was issued for discharge of any debt or liability
(c) That the cheque was issued after ensuring that there is sufficient funds in the account
(d) None of above

प्र.क्र. 84– परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 141 के स्पष्टीकरण (क) में "कंपनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत फर्म या व्यक्तियों का अन्य संगम है। निम्न में से क्या सही है।

(अ) "व्यक्तियों का कोई संगम" शब्दावली में दो निजी व्यक्ति शामिल नहीं हैं।
(ब) "व्यक्तियों का कोई संगम" शब्दावली में दो निजी व्यक्ति शामिल हैं।
–(स) "व्यक्तियों का कोई संगम" शब्दावली में दो से अधिक निजी व्यक्ति शामिल हैं।
(द) परक्राम्य लिखत अधि. की धारा 141 व्यक्तियों पर लागू होती है।

Que. In explanation (a) of S. 141 NI Act "Company" means any body corporate and includes a firm or other association of individuals. Which of the following is correct.

(a) Two private individuals are not included in the term "other association of individuals".
(b) Two private individuals are included in the term "other association of individuals".
(c) More than two private individuals are included in the term "other association of individuals".
(d) S. 141 of NI Act is applicable to individuals.

प्र.क्र. 85– जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित ना हो यह ..... कि चेक के धारक ने धारा 138 में निर्दिष्ट प्रकृति का चेक किसी ऋण या अन्य दायित्व के पूर्णतः या भागतः उन्मोचन के लिए प्राप्त किया है।

–(अ) उपधारणा की जाएगी
(ब) उपधारणा की जा सकेगी
(स) उपधारणा नहीं की जाएगी
(द) उपधारणा नहीं की जा सकेगी

Que. It..... , Unless the contrary is proved, that the holder of a cheque received the cheque, of the nature referred to in section 138 for the discharge in whole or in part of any debt or other liability.

(a) Shall presumed
(b) May presumed
(c) Shall not presumed
(d) May not presumed

Electricity Act, 2003

प्र.क्र. 86– अधिनियम की धारा 152 की उपधारा – 1 के अंतर्गत अपराध का शमन उपभोक्ता को अनुज्ञेय होगा–

–(अ) एक बार
(ब) दो बार
(स) तीन बार
(द) कितनी भी बार

Que. The Compounding of an offence under sub-section(1) of section 152 of the Act for any consumer shall be allowed-

(a) Once
(b) Twice
(c) Thrice
(d) For any number of time

प्र.क्र. 87– अधिनियम की धारा 135 के अंतर्गत दण्ड है –

(अ) कारावास जिसकी अवधि 6 माह तक की हो सकेगी या जुर्माने या दोनों
(ब) कारावास जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने या दोनों
(स) कारावास जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने या दोनों
-(द) कारावास जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने या दोनों

Que. The punishment under section 135 of the Act is -

(a) Imprisonment for a term which may extend to six months or with fine or both
(b) Imprisonment for a term which may extend to one year or with fine or both
(c) Imprisonment for a term which may extend to two years or with fine or both
(d) Imprisonment for a term which may extend to three years or with fine or both

प्र.क्र. 88– अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान निम्न में से किस के द्वारा दायर परिवाद पर से नहीं किया जा सकता–

(अ) प्राधिकृत अधिकारी
(ब) मुख्य विद्युत निरीक्षक
-(स) विद्युत उपभोक्ता
(द) सक्षम पुलिस अधिकारी

Que. Cognizance of any offence punishable under the Act cannot be taken on the complaint filed by which of the followings-

(a) Authorized officer
(b) Chief Electricity Inspector

(c) Electricity Consumer
(d) Competent Police Officer

प्र.क्र. 89– दस किलोवाट से कम विद्युत चोरी के मामले में दूसरी बार सिद्धदोष ठहराए जाने पर निम्न में से किस प्रकार के दण्ड के प्रावधान हैं।

(अ) 3 वर्ष तक का कारावास व जुर्माना जो चोरी के कारण होने वाले वित्तीय लाभ के तीन गुने से कम नहीं होगा।
(ब) 3 वर्ष तक का कारावास व जुर्माना जो चोरी के कारण होने वाले वित्तीय लाभ के छह गुने से कम नहीं होगा।
(स) 5 वर्ष तक का कारावास व जुर्माना जो चोरी के कारण होने वाले वित्तीय लाभ के तीन गुने से कम नहीं होगा।
(द) 5 वर्ष तक का कारावास व जुर्माना जो चोरी के कारण होने वाले वित्तीय लाभ के छह गुने से कम नहीं होगा।

Que. In case of less than 10 kilowatt theft of electricity in the event of second conviction which of the following punishment is provided.

(a) Imprisonment for a term which may extend to three years or with fine which shall not be less than three times the financial gain on account of such theft of electricity.
(b) Imprisonment for a term which may extend to three years or with fine which shall not be less than six times the financial gain on account of such theft of electricity.
(c) Imprisonment for a term which may extend to five years or with fine which shall not be less than three times the financial gain on account of such theft of electricity.
(d) Imprisonment for a term which may extend to five years or with fine which shall not be less than six times the financial gain on account of such theft of electricity.

प्र.क्र. 90– किस मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अवधारित किया है कि वे व्यक्ति जो विद्युत अधिनियम की धारा 135 से 140 के अधीन अपराध करते है उनके विरूद्ध कार्यवाही उपभोक्ता फोरम में पोषणीय नहीं है ?

(अ) यू.पी. पावर कार्पोरेशन लिमिटेड और अन्य विरूद्ध अनीस अहमद
(ब) मुकेश चंद विरूद्ध राज्य(एन.सी.टी.) देहली
(स) द होटल आदित्याज लिमिटेड विरूद्ध एम.पी. क्षेत्र वि.वि. कंपनी लिमिटेड और अन्य
(द) प्रकाश सिंह विरूद्ध मध्यप्रदेश राज्य

Que. In which case Hon'ble Supreme Court held that persons who are committing offences under section 135 to 140 of Act is not maintainable before Consumer Court ?

(a) U.P. Power Corporation Ltd. and others vs Anis Ahmad
(b) Mukesh Chand vs State (N.C.T.) Delhi
(c) The Hotel Adityaz Ltd vs M.P.Kshetra V.V. Company Ltd & Others

(d) Prakash Singh vs State of Madhya Pradesh

Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012

प्र.क्र. 91– जहाँ किसी व्यक्ति को इस अधिनियम की धारा ..... के अधीन अपराधों के लिये अभियोजित किया जाता है तो विशेष न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने वह अपराध किया है जब तक इसके विरूद्ध साबित नहीं कर दिया जाता हैं–

(अ) धारा 3, 6, 7 एवं 9

(ब) धारा 2, 4, 5 एवं 6

(स) धारा 3, 5, 7 एवं 9

(द) धारा 2, 3, 4 एवं 5

Que. Where a person is prosecuted for committing offences under section ..... of this act, the Special Court shall presume that such person has committed the offence unless the contrary is proved-

(a) Sections 3, 6, 7 and 9

(b) Sections 2, 4, 5 and 6

(c) Sections 3, 5, 7 and 9

(d) Sections 2, 3, 4 and 5

प्र.क्र. 92– अधिनियम की धारा 12 के अनुसार किसी बालक पर लैंगिक उत्पीडन अधोलिखित दण्ड से दण्डनीय है–

(अ) किसी भांति के एक वर्ष तक के कारावास एवं जुर्माने से

(ब) किसी भांति के दो वर्ष तक के कारावास एवं जुर्माने से

(स) किसी भांति के तीन वर्ष तक के कारावास एवं जुर्माने से

(द) किसी भांति के पांच वर्ष तक के कारावास एवं जुर्माने से

Que. According to the Section 12 of the Act, the punishment for sexual harassment is provided as under-

(a) With imprisonment of either description for a term which may extend to one year and shall also liable to fine

(b) With imprisonment of either description for a term which may extend to two years and shall also liable to fine

(c) With imprisonment of either description for a term which may extend to three years and shall also liable to fine

(d) With imprisonment of either description for a term which may extend to five years and shall also liable to fine

प्र.क्र. 93– अधिनियम की कौन सी धारा आपराधिक मानसिक स्थिति की उपधारणा से संबंधित है –

(अ) धारा 12

(ब) धारा 14

(स) धारा 28

(द) धारा 30

Que. Which section of the Act deals with Presumption of culpable mental state ?

(a) Section 12
(b) Section 14
(c) Section 28
(d) Section 30

प्र.क्र. 94– जब तक बालक के हित में न हो उसका नाम, पितृत्व, पता या अन्य विवरण जो पीड़ित की पहचान को प्रकट करें, निर्णय में खुलासा नहीं किए जाने चाहिए यह निम्न में से किस मामले में धारित किया गया है।

(अ) गनेसन वि. राज्य द्वारा इंसपेक्टर आफ पोलिस, ए आई आर 2020 सुप्रीम कोर्ट 5019 (तीन जज बेंच)
(ब) प्रहलाद वि. राजस्थान राज्य, ए.आई.आर 2018 सु.को. (सपलि.) 2586
(स) निपुन सक्सेना व अन्य वि. यूनियन आफ इण्डिया व अन्य ए.आई.आर. 2019 सु.को. (सपलि.) 881
(द) कुमार घीमीरे वि. सिक्किम राज्य, ए.आई.आर. 2019 सुप्रीम कोर्ट 2011

Que. Name, parentage, address or any other particulars revealing identity of victim, shall not be disclosed in judgment unless it is in the interest of the child, has been held in -

(a) Ganesan v. State Represented by its Inspector of Police. AIR 2020 SUPREME COURT 5019 (Three Judge Bench)
(b) Prahlad v. State of Rajasthan AIR 2018 SC (Supp) 2586
(c) Nipun Saxena and Anr. v. Union of India and Ors. AIR 2019 SC (Supp) 881
(d) Kumar Ghimirey v. State of Sikkim AIR 2019 SUPREME COURT 2011

प्र.क्र. 95– अधिनियम की कौन सी धारा बालक के लिए मित्रतापूर्ण वातावरण बनाने के लिए आदेशित करती है ?

(अ) धारा 33(3)
(ब) धारा 33(4)
(स) धारा 33(5)
(द) धारा 33(6)

Que. Which section of the Act mandates setting up of child friendly atmosphere ?

(a) Section 33 (3)
(b) Section 33 (4)
(c) Section 33 (5)
(d) Section 33 (6)

Juvenile Justice (Care and protection of Children) Act, 2015

प्र.क्र. 96– अधिनियम की धारा 2(23) के अनुसार निम्नलिखित में कौन "न्यायालय" में सम्मिलित नहीं है–

(अ) जिला मजिस्ट्रेट का न्यायालय
(ब) जिला न्यायालय
(स) कुटुम्ब न्यायालय
(द) सिटी सिविल कोर्ट्स

Que. According to Section 2(23) of the Act, which of the following is not included in definition of "court" -

(a) Court of District Magistrate
(b) District Court
(c) Family Court
(d) City civil courts

प्र.क्र. 97– एक विधि का उल्लंघन करने वाला बालक –

(अ) अग्रिम जमानत आवेदन प्रस्तुत करने का अधिकारी है।
(ब) अग्रिम जमानत आवेदन प्रस्तुत करने का अधिकारी नहीं है।
(स) सत्र न्यायालय के समक्ष अग्रिम जमानत आवेदन प्रस्तुत करने का अधिकारी है।
(द) बोर्ड के समक्ष अग्रिम जमानत आवेदन प्रस्तुत करने का अधिकारी है।

Que. A child in conflict with law -

(a) is entitled to move application for anticipatory bail.
(b) is not entitled to move application for anticipatory bail.
(c) is entitled to move application for anticipatory bail before the Court of Sessions.
(d) is entitled to move application for anticipatory bail before the Board.

प्र.क्र. 98– जघन्य अपराध के मामले में जहां बालक धारा 19 की उपधारा (1) के खण्ड (i) के अधीन विधि के उल्लंघन में होना पाया जाता है, ऐसे बालक की दोषसिद्धि से संगत अभिलेखो को :

(अ) नष्ट किया जाएगा
(ब) बोर्ड द्वारा प्रतिधारित किया जाएगा
(स) बालक न्यायालय द्वारा प्रतिधारित किया जाएगा
(द) मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी के न्यायालय द्वारा प्रतिधारित किया जाएगा

Que. In case of a heinous offence where child is found to be in conflict with law under clause (i) of sub section(1) of section 19, the relevant records of conviction of such child shall be :

(a) destroyed
(b) retained by the Board
(c) retained by the Children's Court
(d) retained by the Chief Judicial Magistrate Court

Chapter 11 i.e. Section 65 to 79A of Information Technology Act, 2000

प्र.क्र. 99– सूचना प्रोद्योगिकी अधिनियम की धारा 78 के अंतर्गत साइबर अपराध की जांच करने का अधिकार प्राप्त एक पुलिस अधिकारी, किस रैंक से नीचे का नहीं होना चाहिए–

(अ) उपनिरीक्षक

(ब) निरीक्षक

(स) उप पुलिस अधीक्षक

(द) पुलिस अधीक्षक

Que. A police officer empowered to investigate cyber crime as per Section 78 of the Information Technology Act, 2000, must not be below the rank of-

(a) Sub Inspector

(b) Inspector

(c) Deputy Superintendent of Police

(d) Superintendent of Police

प्र.क्र. 100– निम्नलिखित में से कौन सभी उपायों के लिए उत्तरदायी होगा जिसके अंतर्गत नाजुक सूचना अवसंरचना के संरक्षण से संबंधित अनुसंधान और विकास है?

(अ) भारतीय कम्प्यूटर आपात मोचन दल

(ब) राष्ट्रीय नोडल अभिकरण

(स) समुचित सरकार

(द) नियंत्रक

Que. Who shall be responsible for all measures including Research and Development relating to protection of Critical Information Infrastructure?

(a) Indian Computer Emergency Response Team

(b) National Nodal Agency

(c) Appropriate Government

(d) Controller

*****